संख्या– 543 /वि0अनु0–1/2004

प्रेषक,

के0सी0मिश्र,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी
सम्बन्धित नगर पालिका परिषद, उत्तरांचल
(संलग्न सूची के अनुसार)।

वित्त अनुभाग–1

देहरादून :: दिनांक : 17 जुलाई, 2004

विषयः–राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में नगरपालिका परिषदों को धनराशि का संक्रमण (द्वितीय तिमाही हेतु)।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रथम राज्य वित्त आयोग, उत्तरांचल की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश की 31 नगरपालिका परिषदों को सलंग्न विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु रू0 72253000 (सात करोड़ बाईस लाख तिरेपन हजार मात्र) की धनराशि संक्रमित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन संक्रमित की जा रही है:–

(1) स्थानीय निकायों को कुल देय वार्षिक धनराशि से 30 प्रतिशत अंश रोका गया है जो प्रतिवेदन के प्रस्तर 21.5 के अन्तर्गत प्रस्तर 22.5 व 22.6 के अनुसार राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की संस्तुति पर अवमुक्त किया जायेगा। शेष 70 प्रतिशत अंश को 4 समान तिमाही किश्तों में अवमुक्त किया जायेगा। तद्नुसार द्वितीय किश्त अवमुक्त की जा रही हैं।

(2) संक्रमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा। संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए संक्रमित की गई हैं। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/ समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(3) नगर विकास विभाग संक्रमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होगे। कोषागार से आहरित धनराशि का बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।

(4) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ठ शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी /वित्त नियंत्रक /मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो , सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो

तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

3–इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन –आयोजनेत्तर– 01– नगरीय स्थानीय निकाय–192–नगरपालिका/नगर निकाय–03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00 –20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राज्य सहायता के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(के0सी0मिश्र)
अपर सचिव (वित्त)

संख्या–543(1)/वि0अनु0–1/2004 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल , ~~इलाहाबाद~~। 28/4/5
2– सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तरांचल ।
3– निदेशक शहरी स्थानीय निकाय, निदेशालय, देहरादून।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5– निदेशक, कोषागार, वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
6– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी उत्तरांचल।
7– विभागीय अधिकारी / वित नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ लेखाधिकरी जैसी भी स्थिति हो।
8– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
9– एन0 आई0सी0 सचिवालय, उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से,

(के0सी0मिश्र)
अपर सचिव (वित्त)

,शासनादेश संख्याः 543/ वि0अनु0–1 / 2004 दिनांकः– 17 जुलाई,2004 का संलग्नक

(धनराशि हजार में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	नगर पालिका परिषद का नाम	प्रस्तावित आवंटन की धनराशि
1	2	3	4
1–	उत्तरकाशी	1–उत्तरकाशी	1419
2–	चमोली	2–जोशीमठ	1155
3–		3–चमोली / गोपेश्वर	1303
4–	टिहरी	4–नई टिहरी	1984
5–		5–नरेन्द्र नगर	698
6–	देहरादून	6–मसूरी	2559
7–		7–विकास नगर	601
8–		8–ऋषिकेश	2944
9–	पौड़ी गढ़वाल	9–दुगड्डा	328
10–		10–कोटद्वार	1682
11–		11–श्रीनगर	1695
12–		12–पौड़ी	2734
13–	चम्पावत	13–टनकपुर	1113
14–	नैनीताल	14–रामनगर	3473
15–		15–नैनीताल	2202
16–		16–भवाली	290
17–		17–हल्द्वानी	6667
18–	ऊधमसिंह नगर	18–जसपुर	2679
19–		19–काशीपुर	4402
20–		20–बाजपुर	1102
21–		21–गदरपुर	1024
22–		22–रुद्रपुर	4120
23–		23–किच्छा	1575
24–		24–सितारगंज	1117
25–		25–खटीमा	1031
26–	हरिद्वार	26–रुड़की	4377
27–		27–मंगलौर	2412
28–		28–हरिद्वार	7830
29–	पिथौरागढ़	29–पिथौरागढ़	4075
30–	अल्मोड़ा	30–अल्मोड़ा	2669
31–	बागेश्वर	31–बागेश्वर	993
		योगः–	**72253**

(सात करोड़ बाईस लाख तिरेपन हजार मात्र)

(के0सी मिश्र)
अपर सचिव, वित्त।
उत्तरांचल शासन।